सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 42 राँची, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 दिसम्बर, 2019

संख्या--5/आरोप-1-848/2014-27496 (HRMS)-- श्री अरूण कुमार खलखो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-865/03, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-891/स्था0, दिनांक 21.09.2013 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-'क' आयुक्त के सचिव, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-36/गो0, दिनांक 29.10.2013 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री खलखो के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किये गये है कि-

"श्री खलखो द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक-1149, दिनांक 29.05.09 एवं ज्ञापांक-1253, दिनांक 16.10.09 द्वारा मौजा केण्टोमेंट थाना संख्या-157 के अन्तर्गत आवेदक श्री जगदीश प्रजापति, श्री शिवप्रसाद सहाय, हरीश जायसवाल एवं तिलेश्वरी देवी के नाम गाँधी मैदान, हजारीबाग के समीप पुनर्ग्रहित ग्राम-केण्टोमेंट के खास महाल हो0 नं0 304, भवन पट्टा एवं हो0सं0 305 बागवानी पट्टा कुल रकबा 5.29 ए0 मधे रकबा 3.11 ए0 भूमि का बिना गहन रूप से जाँच पड़ताल किये हुए रसीद निर्गत करने का आदेश तत्कालीन रा0 कर्मचारी श्री चन्दन कुमार सरकार को दिया गया।

श्री खलखो को कागजातों का सत्यापन खास महाल कार्यालय से स्वयं करना चाहिए था, या अंचल निरीक्षक को आदेशित करना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं किया गया। श्री खलखो ने अधीनस्त कार्यरत राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन के गलत प्रतिवेदन पर स्वीकृति दी गई, फलस्वरूप जमाबंदी कायम कर

रसीद निर्गत करवा दिया गया। उक्त भूमि खास महाल की भूमि है जो करोड़ो रूपये की है, साथ ही सरकारी कार्य के प्रायोजन हेतु सुरक्षित रखा गया है, जिसे सरकार के निर्देशानुसार देखभाल करना इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। अतः इनके द्वारा राजस्व कागजातों का सत्यापन नहीं किया गया, हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन की सत्यता की जाँच नहीं किया गया, खास महाल की कीमती जमीन की जमाबंदी कायम कर राजस्व की क्षति पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया गया, अपने पद का दुरूपयोग करते हुए खासमहाल की जमीन का जमाबंदी कायम कराते हुए रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिससे सरकार को करोड़ों रूपये की क्षति हुई है। उक्त कार्य सरकारी सेवक आचार संहिता के नियम- (i) ,(ii),(iii) के प्रतिकूल है।"

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11963, दिनांक 12.12.2013 द्वारा श्री खलखो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, इसके बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री खलखो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण विभागीय संकल्प सं0-10183, दिनांक 01.12.2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक-150, दिनांक 26.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री खलखो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

(i) आरोपी के द्वारा आदेश निर्गत करने से पूर्व भूमि से संबंधित राजस्व कागजातों से सत्यापन नहीं करने की बात सही प्रतीत होती है।

(ii) आरोपी के विरूद्ध राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की सत्यता की जाँच राजस्व अभिलेखों से नहीं किये जाने का आरोप सही प्रतीत होता है।

(iii) आरोपी के विरूद्ध खास महाल की कीमती जमीन का जमाबंदी कायम कर राजस्वी की क्षति पहुँचाने का प्रयास सही प्रतीत होता है।

(iv) आरोपी को आवेदक के आवेदन पर खास महाल कार्यालय से प्रतिवेदन/मंतव्य प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा न करने के फलस्वरूप ही खास महाल भूमि के संबंध में उनके द्वारा आदेश पारित किया गया, जो उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं था।

(v) आरोपी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने पद का दुरूपयोग कर खास महाल की 3.11 एकड़ जमीन का जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया।

(vi) आरोपी के कृत्य से सरकार को करोड़ों रूपये की क्षति होने की स्थिति में उत्पन्न हुई, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के नियम-(i) ,(ii),(iii) के प्रतिकूल है।

श्री खलखो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री खलखो के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9133, दिनांक 17.12.2018 द्वारा श्री खलखो से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इनसे द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक- 2769, दिनांक 02.04.2019 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री खलखो द्वारा उत्तर समर्पित नहीं किया गया। समीक्षोपरांत, श्री खलखो के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः श्री खलखो के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	ARUN KUMAR KHALKHO JHK/JAS/22	श्री अरूण कुमार खलखो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-865), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग, संप्रति- निलंबित के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 42 -- 50